खारिज
05.2.2025

2024 | 728

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

ओमप्रकाश बनाम रामप्रताप आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 191 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
25.11.2024	प्रार्थी ओमप्रकाश की तरफ से वकील श्री नन्दलाल गोल्याण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक 3 एसपीएम के प.नं. 221/417(3) कि.नं. 16 ता 18 की 0.759 है., चक 23 आरडब्ल्यूडी के प.नं. 222/417(1) कि.नं. 20/2 की 0.228 है. भूमि से अप्रार्थीगण प्रार्थी को बैदखल करने से निषेद्ध रहें व मौका की यथास्थिति बनाये रखें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 24.12.2024 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
24.12.2024	[illegible] PU माहक [illegible] फैसला [illegible] पत्रावली [illegible] तारीख [illegible] दिनांक 21.2.2025 को पेश हो [signature]	
05.2.2025	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र मिसल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र में राजीनामा होने कारण प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलाना चाहते है। मौजूदा स्थिति में खारिज करवाना चाहते हैं। प्रार्थना-पत्र मौजूदा स्थिति में [illegible] पत्रावली नम्बर से कम की जाकर [illegible] जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। [signature]	मिसल पेशी में ली जाकर राजीनामा होने के कारण चलाना नहीं चाहता है। अ.नि. ओमप्रकाश Identified [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.02.17 19:52:30 IST
Reason: SelfAttested